[2022] 15 एस.सी.आर. 633

पुलिस निरीक्षक के माध्यम से राज्य

बनाम

लाली उर्फ मणिकंदन एवं अन्य

(2022 की दांडिक अपील संख्या 1750-1751)

14 अक्टूबर, 2022

[एम. आर. शाह और कृष्णा मुरारी, न्यायमूर्तिगण]

भारतीय दंड विधान — धारा 302 एवं 34 — एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि — उतरदाता-अभियुक्तगण (तीन) पर मृतक की हत्या किए जाने का विचारण किया गया — विचारण न्यायालय द्वारा भारतीय दंड विधान की धारा 302 सहपठित धारा 34 के अधीन अपराध का दोषी ठहराया गया — तथापि, उच्च न्यायालय ने अभियोजन साक्षी-1 के साक्ष्य को विश्वसनीय नहीं माना और अभियुक्तों को दोषमुक्त कर दिया — अपील पर, अभिनिर्धारित : अभियोजन साक्षी-1 दोनों घटनास्थलों पर हुई घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी था; प्रथम भाग उस समय का था जब मृतक, अभियोजन साक्षी-1 तथा एक अन्य व्यक्ति मोटरकार से यात्रा कर रहे थे, जहाँ अभियुक्त सं. 1 ने मृतक के दाहिने कंधे पर चोट पहुँचाई; तत्पश्चात् दूसरा भाग उस समय का था जब मृतक भागने का प्रयास कर रहा था और एक झोपड़ी में पहुँच गया, जहाँ तीनों अभियुक्त झोपड़ी में घुस गए और मृतक को चोटें पहुँचाईं — अभियोजन साक्षी-1 का अभियुक्तों की ओर से विस्तृत प्रति-परीक्षण किया गया, जिसमें वह अपने कथन पर दृढ़ रहा तथा उसने अभियोजन के मामले का पूर्ण समर्थन किया — अभियोजन साक्षी-1 की विश्वसनीयता पर अविश्वास करने अथवा उस पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है — केवल इस कारण कि मूल परिवादी का परीक्षण नहीं किया गया, अभियोजन साक्षी-1 के साक्ष्य को अस्वीकार करने का आधार नहीं बन सकता — विधि के स्थापित सिद्धांत के अनुसार, यदि एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी साक्षी विश्वसनीय तथा भरोसेमंद पाया जाता है, तो केवल उसी के साक्ष्य के आधार पर भी दोषसिद्धि की जा सकती है — अपराध के किए जाने में प्रयुक्त हथियार की बरामदगी, अभियुक्त को दोषसिद्ध करने के लिए अपरिहार्य शर्त नहीं है — यदि प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के रूप में प्रत्यक्ष साक्ष्य उपलब्ध हो, तो हथियार की बरामदगी के अभाव में भी अभियुक्त को दोषसिद्ध किया जा सकता है — इसी प्रकार, यदि अभियोजन का मामला प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के साक्ष्य पर आधारित हो, तो प्रथम सूचना

प्रतिवेदन/परिवाद दर्ज कराने के समय के संबंध में कुछ विरोधाभास भी अभियुक्त को दोषमुक्त करने का आधार नहीं बन सकते — अतः अभियुक्तों को दोषमुक्त करने वाला उच्च न्यायालय का निर्णय विधिसंगत नहीं है और उसे अपास्त किया जाता है।

अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

अभिनिर्धारित : 1. अभियोजन साक्षी1 के कथन का अवलोकन करने पर यह प्रत्यक्ष होता है कि अभियोजन साक्षी1 दोनों स्थानों पर घटित घटना का प्रत्यक्षदर्शी है। जब प्रथम अवसर पर अभियुक्तों ने मृतक पर आक्रमण किया था, उस समय मृतक कार में यात्रा कर रहा था और अभियोजन साक्षी1 भी कार में उपस्थित था। उस समय अभियुक्तों ने कार को टक्कर मारी तथा खिड़की का शिशा तोड़ी और अभियुक्त1 ने मृतक के दाएँ कंधे पर चोट पहुंचाई। उसके पश्चात मृतक भागने का प्रयास करते हुए एक छप्पर तक पहुँचा और उस समय सभी अभियुक्त मृतक का पीछा करते हुए छप्पर के भीतर गए, मृतक को चोट पहुँचाई और फिर छप्पर से बाहर आकर भाग गए। अभियोजन साक्षी1 ने स्पष्ट रूप से कहा है कि उसने तीनों अभियुक्तों को छप्पर में प्रवेश करते देखा और उसके बाद उन्हें बाहर निकलते देखा तथा मृतक को चोटों सहित छप्पर में पड़ा हुआ मृत अवस्था में पाया। अभियोजन साक्षी1 का अभियुक्तों की ओर से पूर्ण प्रतिपरीक्षण किया गया। तथापि, विस्तृत प्रतिपरीक्षण के बाद भी अभियोजन साक्षी1 अपने कथन पर दृढ़ रहा और अभियोजन-प्रकरण का पूर्ण समर्थन किया। अभियोजन साक्षी1 की विश्वसनीयता पर संदेह करने अथवा उसे अविश्वसनीय मानने का कोई कारण नहीं है। [कंडिका 6][640-डी-जी]

2. अभियुक्तों की ओर से किया गया यह आग्रह कि क्योंकि मूल सूचक का परीक्षण नहीं किया गया और अन्य स्वतंत्र साक्षियों का परीक्षण नहीं हुआ तथा हथियार की बरामदगी सिद्ध नहीं की गई और घटना के समय तथा स्थान को लेकर गंभीर संदेह है, अतः अभियुक्तों को बरी किया जाए — स्वीकार नहीं किया जा सकता। मात्र इस आधार पर कि मूल अभियोगकर्ता का परीक्षण नहीं हुआ, अभियोजन साक्षी1 के कथन को अस्वीकार करने का आधार नहीं बनता। जैसा पूर्व में उल्लेखित है, अभियोजन साक्षी1 दोनों स्थानों पर घटना का प्रत्यक्षदर्शी है। इसी प्रकार, यह मान भी लिया जाए कि प्रयोग किए गए हथियार की बरामदगी सिद्ध नहीं है, तब भी प्रत्यक्षदर्शी के प्रत्यक्ष साक्ष्य मौजूद होने पर अभियुक्त को बरी करने का यह आधार नहीं बन सकता। अपराध में प्रयुक्त हथियार की बरामदगी अभियुक्त को दोषसिद्ध करने के लिए अनिवार्य नहीं है। यदि प्रत्यक्षदर्शी के रूप में प्रत्यक्ष साक्ष्य उपलब्ध हो, तो हथियार की बरामदगी के अभाव में भी अभियुक्त को दोषी ठहराया जा सकता

है। इसी प्रकार, प्राथमिकी/अभियोग-प्रस्तुति के समय के संबंध में कुछ विरोधाभास होने से भी अभियुक्तों को बरी करने का आधार नहीं बनता, जब अभियोजन-मामला प्रत्यक्षदर्शी के कथन पर आधारित हो। जैसा अवलोकित है, अभियोजन साक्षी1 प्रत्यक्षदर्शी है। उसने अभियोजन-प्रकरण का पूर्ण समर्थन किया है। विधि की स्थापित स्थिति के अनुसार, यदि एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी विश्वसनीय तथा भरोसेमंद हो, तो उसके कथन के आधार पर दोषसिद्धि की जा सकती है। अभियोजन साक्षी1 की विश्वसनीयता अथवा प्रामाणिकता पर संदेह का कोई कारण नहीं है। इसलिए, अभियोजन साक्षी1 के कथन पर अकेले आधारित होकर अभियुक्तों को दोषसिद्ध करना सुरक्षित होगा। [कंडिका 7 एवं 8] [640-जी-एच; 641-ए-डी]

कृष्ण मोची बनाम बिहार राज्य **(2002) 6 एससीसी 81:[2002] 3 एस.सी.आर. 1**; *कुंजू मुहम्मद बनाम केरल राज्य,* **(2004) 9 एससीसी 193:2003 (7) जे.टी. 114-संदर्भित**

<u>मामला कानून संदर्भ</u>

[2002] 3 एससीआर 1	**संदर्भित**	**पैरा 3.4 में**

आपराधिक अपील क्षेत्राधिकार: 2022 की दांडिक अपील संख्या 1750-1751।

मद्रास उच्च न्यायालय के दिनांक 12.06.2018 के 2017 के दांडिक अपील (एम. डी.) सं. 270 और 362 के निर्णय और आदेश से।

अपीलकर्ता के लिए : डॉ. जोसेफ अरस्तू एस., सुश्री नूपुर शर्मा, शोभित द्विवेदी, संजीव कुमार महारा, अधिवक्ता

उतरदाताओं के लिए : राव रंजीत, अधिवक्ता।

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा दिया गया

एम. आर. शाह, न्यायमूर्ति

1. आक्षेपित निर्णय एवं आदेश दिनांक 12.06.2018 से, जो मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ द्वारा आपराधिक अपील सं. 270/2017 तथा 362/2017 में पारित किया गया, जिससे उच्च न्यायालय ने उक्त अपीलों को स्वीकार करते हुए उतरदाता-अभियुक्तगण को भारतीय दंड विधान की धारा 302 एवं 302 सहपठित धारा 34 के अधीन दंडनीय अपराधों

से दोषमुक्त कर दिया, उससे व्यथित एवं असंतुष्ट होकर राज्य ने वर्तमान अपीलें प्रस्तुत की हैं।

2. यहाँ के उतरदाता अर्थात् मूल अभियुक्तगण पर उपर्युक्त अपराधों के लिए, मृतक सरवनन की हत्या किए जाने के आरोप में विचारण किया गया। अभियोजन का मामला यह था कि अभियुक्त के मित्र अर्थात् सेल्वकुमार तथा पेरियावन उर्फ़ मुरुगन के बीच शत्रुता के कारण, दिनांक 31.07.2013 को सेल्वकुमार की हत्या कर दी गई थी। मृतक सरवनन को सेल्वकुमार के ठिकाने की जानकारी होने का संदेह करते हुए, अभियुक्तगण, हथियारों से लैस दोपहिया वाहन पर आकर, उस मोटरकार को रोक लिया जिसमें मृतक, अभियोजन साक्षी-1 तथा एक अन्य व्यक्ति यात्रा कर रहे थे, और अरुवाल से मोटरकार के शीशे पर प्रहार कर उसे तोड़ दिया। अभियुक्त सं. 1 ने मृतक के दाहिने कंधे पर चोट पहुँचाई। इसके पश्चात् मृतक सरवनन भागने का प्रयास करने लगा, किन्तु अभियुक्तों ने उसका पीछा किया और तत्पश्चात् उस झोपड़ी में, जहाँ मृतक पहुँचा था, उसे चोटें पहुँचाईं। लगी हुई चोटों के कारण मृतक सरवनन की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। महेन्द्रन द्वारा प्रस्तुत परिवाद के आधार पर प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज किए जाने के पश्चात् अनुसंधान प्रारम्भ किया गया। सभी अभियुक्तों को दिनांक 02.08.2013/17.08.2013 को गिरफ्तार किया गया। अनुसंधान के दौरान अनुसंधानकर्ता ने भौतिक साक्ष्य संकलित किए तथा साक्षियों के कथन भी अभिलिखित किए। अनुसंधान पूर्ण होने पर आरोपपत्र भारतीय दंड विधान की धाराओं 341, 506(2), 302 सहपठित धारा 3(1) तमिलनाडु लोक संपत्ति (क्षति एवं हानि निवारण) अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए प्रस्तुत किया गया। प्रकरण विचारण हेतु सत्र न्यायालय को समर्पित किया गया, जहाँ इसे सत्र वाद सं. 254 वर्ष 2014 के रूप में पंजीकृत किया गया। सभी अभियुक्तों ने अपने को निर्दोष बताया और परिणामस्वरूप उनके विरुद्ध उपर्युक्त अपराधों के लिए विद्वान सत्र न्यायालय द्वारा विचारण किया गया।

2.1 विचारण के दौरान, अभियोजन ने इक्कीस गवाहों का परीक्षण किया तथा छत्तीस दस्तावेज और सोलह भौतिक वस्तुएँ प्रदर्शित कीं। अभियोजन साक्ष्य के समापन के उपरान्त, अभियुक्तों के धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत अतिरिक्त बयान दर्ज किए गए। विचारण के दौरान अभियोजन साक्षी 2, अभियोजन साक्षी 3 तथा अभियोजन साक्षी 5 ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया तथा शत्रुतापूर्ण घोषित किए गए। तथापि, अभियोजन साक्षी 1, अभियोजन साक्षी 4 तथा अभियोजन साक्षी 6 के विश्वसनीय एवं स्वीकार्य कथन पर विश्वास करते हुए, माननीय सत्र न्यायालय ने अभियुक्त ए1 को धारा 302 भारतीय दण्ड

संहिता के अपराध हेतु तथा अभियुक्त 2 एवं 3 को धारा 302 सहपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध हेतु दोषसिद्ध किया, तथा प्रत्येक को आजीवन कारावास एवं रु. 1,000/- का दण्ड, तथा दण्ड न चुकाने की दशा में तीन माह का साधारण कारावास दिया।

2.2 विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि एवं दण्डादेश से कष्टान्वित एवं असंतुष्ट होकर अभियुक्तों ने उच्च न्यायालय में वर्तमान अपीलें प्रस्तुत कीं। आक्षेपित निर्णय एवं आदेश द्वारा उच्च न्यायालय ने विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि एवं दण्डादेश को अपास्त किया तथा फलस्वरूप, उपर्युक्त अपराधों के लिए, जिनके लिए अभियुक्तों को दोषसिद्ध किया गया था, अभियुक्तों को बरी कर दिया। उच्च न्यायालय ने अभियुक्तों को उन कारणों से बरी किया है जो आक्षेपित निर्णय के कंडिका 9 में उल्लिखित हैं, जो इस प्रकार है:

"9. ये अपीलें निम्नलिखित कारणों से सफल होती हैं :

(i) अभियोजन का मामला यह है कि घटना 31.07.2013 को 01.30 बजे हुई तथा एफ.आई.आर. उसी दिन 01.45 बजे महेन्द्रन द्वारा पुलिस थाने में प्रस्तुत शिकायत पर पंजीकृत हुई। उक्त महेन्द्रन का परीक्षण नहीं किया गया है।

(ii) अभियोजन ने अभियोजन साक्षी 1 से अभियोजन साक्षी 6 तक को प्रत्यक्षदर्शी गवाह के रूप में परीक्षित किया। अभियोजन साक्षी 2, अभियोजन साक्षी 3 और अभियोजन साक्षी 5 ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया तथा शत्रुतापूर्ण घोषित किए गए। अभियोजन साक्षी 4 और अभियोजन साक्षी 6 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अविश्वसनीय माना गया। अभियोजन साक्षी 4 को इसलिए अविश्वसनीय माना गया कि उसने बताया कि घटना 2.30 बजे हुई और मृतक अभियोजन साक्षी 2 की झोपड़ी के बाहर गिरा, जबकि अभियोजन का मामला इससे भिन्न है। अभियोजन साक्षी 6 को इसलिए अविश्वसनीय माना गया कि उसने 8 से 9 व्यक्तियों द्वारा हमले की बात कही, जबकि अभियोजन का मामला तीन अभियुक्तों/अपीलार्थियों द्वारा हमले का है।

(iii) अभियोजन के मामले के विपरीत, अभियोजन साक्षी 1 ने स्वीकार किया है कि घटना के 5 से 10 मिनट के भीतर पुलिस घटनास्थल पर पहुँच गयी थी। अभियोजन साक्षी 1 तथा अभियोजन साक्षी 4 दोनों ने कहा कि सभी गवाहों के बयान घटनास्थल

पर ही दर्ज किए गए तथा उनके हस्ताक्षर लिए गए। अभियोजन साक्षी 1 विशेष रूप से यह कहता है कि महेन्द्रन का बयान दर्ज करने के उपरान्त, शिकायतकर्ता महेन्द्रन के हस्ताक्षर लिए गए और उसी पर अभियोजन साक्षी 1 तथा अभियोजन साक्षी 4 ने प्रमाणीकरण किया। मामले में शिकायत दर्ज नहीं की गई है, यद्यपि अभिलेखों के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि प्राथमिकी को अग्रभाग पर प्रद.20 तथा पश्चभाग पर प्रद.21 अंकित किया गया है और शिकायत उसके साथ संलग्न है। संदेह उत्पन्न होता है कि प्रद.20 के रूप में अंकित प्राथमिकी तथा उसके साथ संलग्न शिकायत मूल संस्करण को सूचित करती है या नहीं, क्योंकि न केवल शिकायतकर्ता का परीक्षण नहीं किया गया है, बल्कि अभियोजन गवाहों का यह कथन है कि शिकायत घटनास्थल पर ही लिखी गयी थी।

(iv) अभियोजन साक्षी 20 अवर निरीक्षक, जिसने प्राथमिकी दर्ज की, यह बताता है कि पुलिस थाने तथा न्यायालय के मध्य दूरी 7 किलोमीटर है, तथा प्राथमिकी में घटनास्थल पुलिस थाने से 2 ½ किलोमीटर दूरी पर दर्शाया गया है। प्राथमिकी न्यायिक दंडाधिकारी के पास शाम 7.00 बजे ही पहुँची। ऐसी परिस्थिति प्राथमिकी की प्रामाणिकता पर संदेह उत्पन्न करती है तथा यह प्रश्न उठाती है कि क्या घटना की उत्पत्ति/जन्म कारण को दबाया गया है। प्राथमिकी में अभियुक्तों की मृतक के विरुद्ध रंजिश तथा उसे समाप्त करने की आवश्यकता का जिस प्रकार विस्तृत वर्णन है, वह भी ऐसे संदेह को और अधिक प्रबल करता है। जिस सिपाही को प्राथमिकी न्यायिक दंडाधिकारी तक पहुँचाने का दायित्व सौंपा गया था, उसका परीक्षण न किया जाना अभियोजन की स्थिति को और अधिक दुर्बल करता है।

(v) अभियोजन साक्षी 1 ने यह कहा है कि उसने घटना के अगले ही दिन, अर्थात् 01.08.2013, पुलिस थाने में अभियुक्तों को देखा था, जबकि अभियोजन का मामला यह है कि अभियुक्त 1 तथा अभियुक्त 3 को 02.08.2013 को तथा अभियुक्त 2 को 17.08.2013 को गिरफ्तार किया गया था।

(vi) अभियोजन के अनुसार, अरुवाल की बरामदगी सभी अभियुक्तों से की गयी थी। परन्तु अभियोजन साक्षी 1 ने प्रतिपरीक्षण में कहा है कि अरुवाल तो उन्हीं (अर्थात अभियोजन पक्ष) ने पुलिस को सौंपे थे।

(vii) रक्तरंजित अरुवाल बरामद हुए हैं। शवपरीक्षण किया गया है, परन्तु मृतक का रक्त-समूह निर्धारित नहीं किया गया। प्रद.16 मृतक द्वारा पहने गए वस्त्रों तथा अरुवाल

पर रक्त-धब्बों की उपस्थिति की सूचना देता है। अभियोजन साक्षी 21 अन्वेषण अधिकारी द्वारा स्वीकार किया गया है कि रक्त-समूह का आपस में संबंध स्थापित करने का कोई प्रयास नहीं किया गया।

उपर्युक्त गंभीर त्रुटियों ध्यान में रखते हुए, हमें यह आवश्यक प्रतीत नहीं होता कि धारा 161(3) दं.प्र.सं. के वक्तव्यों को न्यायालय को विलंब से प्रेषित किए जाने पर कोई और विचार किया जाए।

2.3 उच्च न्यायालय द्वारा अभियुक्तों को निरपराध घोषित करते हुए पारित आक्षेपित निर्णय एवं आदेश से पीड़ित तथा असंतुष्ट होकर राज्य ने वर्तमान अपीलें दायर की हैं।

3. डॉ. जोसेफ अरस्तू एस, राज्य की ओर से विद्वान अधिवक्ता के रूप में उपस्थित हुए हैं और श्री राव रंजीत अभियुक्तों की ओर से विद्वान अधिवक्ता के रूप में उपस्थित हुए हैं।

3.1 राज्य की ओर से पेश हुए विद्वान अधिवक्ता ने प्रबल रूप से प्रस्तुत किया कि प्रकरण की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, उच्च न्यायालय ने अभियुक्तों को बरी करते हुए तथा विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि एवं दंडादेश को अभिखंडित एवं अपास्त करते हुए गंभीर त्रुटि की है, जबकि विद्वान विचारण न्यायालय ने अभियुक्तों को धारा 302 तथा 302 सहपठित 34 के अंतर्गत दोषी ठहराया था।

3.2 प्रबल रूप से निवेदन किया गया कि वर्तमान मामले में अभियोजन ने प्रासंगिक साक्षियों की जाँच कर अभियुक्तों के विरुद्ध आरोपों को पूर्णतः सिद्ध किया है। यह प्रस्तुत किया गया कि अभियोजन साक्षी 1 घटना का प्रत्यक्षदर्शी है और उसने अभियोजन के मामले का पूर्ण समर्थन किया है।

3.3 प्रस्तुत किया गया कि घटना दो चरणों में हुई। पहला चरण तब था जब मृतक, अभियोजन साक्षी 1 तथा एक अन्य व्यक्ति कार में यात्रा कर रहे थे और अभियुक्त1 ने मृतक के दाहिने कंधे पर चोट पहुँचाई। उसके बाद दूसरा चरण तब हुआ जब मृतक भागने का प्रयास कर रहा था और एक छप्पर तक पहुँच गया। अभियुक्तों ने मृतक का पीछा किया, तीनों अभियुक्त छप्पर में घुसे, मृतक पर चोटें पहुँचाईं और तत्पश्चात छप्पर से बाहर आए और वहाँ से भाग गए। यह प्रस्तुत किया गया कि दोनों स्थानों पर अभियोजन साक्षी 1 उपस्थित था और उसने घटना को दोनों स्थानों पर होते हुए देखा। प्रस्तुत है कि अभियोजन साक्षी 1 की गवाही पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है। राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने अभियोजन साक्षी 1 के बयान की ओर ध्यान आकर्षित किया।

3.4 उपर्युक्त प्रस्तुतियाँ करते हुए तथा इस न्यायालय के निर्णय ***कृष्ण मोची बनाम बिहार राज्य, (2002) 6 एससीसी 81*** **(कंडिका 35)** पर अवलंबन करते हुए यह प्रार्थना की गई है कि वर्तमान अपीलों को स्वीकार किया जाए तथा उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय एवं आदेश को अभिखंडित एवं अपास्त किया जाए और विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 302 तथा 302 सहपठित 34 के अंतर्गत पारित दोषसिद्धि एवं दंडादेश को पुनर्स्थापित किया जाए।

4. वर्तमान अपीलों का मूल अभियुक्तों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रबल रूप से विरोध किया गया है।

4.1 प्रबल रूप से प्रस्तुत किया गया कि उच्च न्यायालय ने अभियुक्तों को निरपराध घोषित करते समय ठोस तथा युक्तिसंगत कारण प्रदान किए हैं।

4.2 यह प्रस्तुत किया गया कि अभियोजन द्वारा प्रत्यक्षदर्शी के रूप में जाँच किए गए कुल छह साक्षियों में से तीन साक्षी — अभियोजन साक्षी 2, अभियोजन साक्षी 3 तथा अभियोजन साक्षी 5 — ने अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया। यह प्रस्तुत किया गया कि अभियोजन साक्षी 4 को भी विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उसकी गवाही और अभियोजन के मामले में महत्वपूर्ण विरोधाभासों के कारण अविश्वसनीय माना गया है।

4.3 आगे यह प्रस्तुत किया गया कि वर्तमान मामले में, वह व्यक्ति महेंद्रन, जिसने थाना में शिकायत दी थी और जिसके आधार पर प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज किया गया था, उसकी जाँच नहीं की गई है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि जबकि अन्य स्वतंत्र साक्षी उपलब्ध थे, अभियोजन ने उनमें से किसी को भी जाँच के लिए प्रस्तुत नहीं किया। अतः केवल अभियोजन साक्षी 1 पर निर्भर होकर अभियुक्तों को दोषसिद्ध करना सुरक्षित नहीं होगा।

4.4 आगे यह प्रस्तुत किया गया कि अभियोजन साक्षी 1 तथा अन्य साक्षियों के बयानों में चोटों के संबंध में भी महत्वपूर्ण विरोधाभास पाए जाते हैं। यह प्रस्तुत किया गया कि जहाँ तक घटना के दूसरे भाग का प्रश्न है, वह छप्पर में हुई थी और स्वयं अभियोजन साक्षी 1 के अनुसार वह छप्पर के बाहर था और उसने अभियुक्तों को मृतक पर चोट करते हुए नहीं देखा। अतः अभियोजन साक्षी 1 को विश्वसनीय एवं भरोसेमंद प्रत्यक्षदर्शी नहीं माना जा सकता तथा केवल उसकी गवाही के आधार पर अभियुक्तों को दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता।

4.5 आगे अभियुक्तों की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने यह भी प्रस्तुत किया कि हथियार की बरामदगी को भी अभियोजन द्वारा सिद्ध नहीं किया गया है।

4.6 उपर्युक्त प्रस्तुतियाँ करते हुए तथा ***कुंजू मुहम्मद बनाम केरल राज्य, (2004) 9 एससीसी 193 (कंडिका 9 तथा 10)*** के निर्णय पर अवलंबन रखते हुए, घटना के समय तथा स्थान के संबंध में संदेह उत्पन्न होने का आग्रह करते हुए वर्तमान अपीलों को खारिज करने की प्रार्थना की गई।

5. हमने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलों को विस्तारपूर्वक सुना। हमने विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि एवं दंडादेश तथा उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय का विस्तृत अवलोकन किया है। हमने अभियोजन साक्षी 1 की गवाही का भी विस्तार से अध्ययन किया है, जिसे प्रमुख तथा प्रत्यक्षदर्शी साक्षी कहा जा सकता है।

6. अभियोजन साक्षी 1 की संपूर्ण जाँच-गवाही का अवलोकन करने पर यह देखा जा सकता है कि अभियोजन साक्षी 1 दोनों स्थानों पर हुई घटना का प्रत्यक्षदर्शी है। जब पहली बार अभियुक्तों ने मृतक पर उस समय हमला किया जब मृतक कार में यात्रा कर रहा था, अभियोजन साक्षी 1 कार में उपस्थित था। उस समय अभियुक्तों ने कार को टक्कर मारी और आगे का शीशा तोड़ दिया तथा अभियुक्त1 ने मृतक के दाहिने कंधे पर चोट पहुँचाई। उसके बाद मृतक वहाँ से भागने का प्रयास करता है और छप्पर तक पहुँचता है, और उस समय सभी अभियुक्तों ने मृतक का पीछा किया, छप्पर में गए, मृतक को चोटें पहुँचाईं और फिर छप्पर से बाहर आकर भाग गए। अभियोजन साक्षी 1 ने स्पष्ट रूप से कहा है कि उसने तीनों अभियुक्तों को छप्पर में प्रवेश करते हुए देखा और उसके बाद उन्हें बाहर आते हुए देखा तथा मृतक घायल अवस्था में पड़ा था और मृत पाया गया। अभियोजन साक्षी 1 का अभियुक्तों की ओर से पूर्ण रूप से प्रतिपरीक्षण किया गया। तथापि विस्तृत प्रतिपरीक्षण के बाद भी अभियोजन साक्षी 1 अपनी कही हुई बात पर अडिग रहा और अभियोजन के मामले का पूर्ण समर्थन किया। हमें अभियोजन साक्षी 1 की विश्वसनीयता पर संदेह करने का कोई कारण नहीं दिखता।

7. अभियुक्तों की ओर से यह प्रस्तुति कि मूल सूचक — महेंद्रन — की जाँच नहीं की गई है तथा अन्य स्वतंत्र साक्षियों की भी जाँच नहीं की गई है और यह कि हथियार की बरामदगी सिद्ध नहीं हुई है तथा घटना के समय और स्थान के संबंध में गंभीर संदेह है, अतः अभियुक्तों को निरपराध घोषित किया जाना चाहिए — स्वीकार नहीं की जा सकती। केवल

इसलिए कि मूल शिकायतकर्ता की जाँच नहीं की गई, अभियोजन साक्षी 1 के बयान को अस्वीकार करने का कोई आधार नहीं बनता। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, अभियोजन साक्षी 1 दोनों स्थानों पर हुई घटना का प्रत्यक्षदर्शी है। इसी प्रकार, मान भी लिया जाए कि हथियार की बरामदगी सिद्ध नहीं हुई, फिर भी जब प्रत्यक्षदर्शी का प्रत्यक्ष प्रमाण उपलब्ध है, अभियुक्तों को केवल इस आधार पर निरपराध घोषित नहीं किया जा सकता। अपराध में प्रयुक्त हथियार की बरामदगी अभियुक्तों को दोषसिद्ध करने के लिए अनिवार्य नहीं है। यदि प्रत्यक्षदर्शी के रूप में प्रत्यक्ष साक्ष्य उपलब्ध हो, तो हथियार की बरामदगी न होने पर भी अभियुक्तों को दोषसिद्ध किया जा सकता है। इसी प्रकार, प्राथमिकी दर्ज करने के समय के संबंध में कुछ विरोधाभास होने पर भी, जब अभियोजन का मामला प्रत्यक्षदर्शी की गवाही पर आधारित है, अभियुक्तों को निरपराध घोषित करने का यह कोई आधार नहीं हो सकता।

8. जैसा कि उपर्युक्त देखा गया है, अभियोजन साक्षी 1 प्रत्यक्षदर्शी है। उसने अभियोजन के मामले का पूर्ण समर्थन किया है। विधि की स्थापित स्थिति के अनुसार, यदि एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी साक्षी विश्वसनीय और भरोसेमंद पाया जाता है, तो केवल उसी की गवाही के आधार पर भी दोषसिद्धि हो सकती है। जैसा कि ऊपर देखा गया है, अभियोजन साक्षी 1 की विश्वसनीयता और भरोसेमंद होने पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है। इसलिए, केवल अभियोजन साक्षी 1 के बयान पर अवलंबन करते हुए अभियुक्तों को दोषसिद्ध करना सुरक्षित होगा।

9. उपरोक्त तथा उपर्युक्त वर्णित कारणों के मद्देनज़र, उच्च न्यायालय द्वारा अभियुक्तों को बरी करने वाला आक्षेपित निर्णय एवं आदेश, जिसमें आक्षेपित निर्णय के कंडिका 9 में उल्लिखित कारणों के आधार पर बरी किया गया है, अस्थिर है और इसे अभिखंडित एवं अपास्त किया जाना चाहिए। तदनुसार, उच्च न्यायालय द्वारा अभियुक्तों को धाराएँ 302 तथा 302 सहपठित 34, दण्ड संहिता के अंतर्गत बरी करने वाला आक्षेपित निर्णय एवं आदेश अभिखंडित एवं अपास्त किया जाता है, तथा विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्तों को धाराएँ 302 तथा 302 सहपठित 34, दण्ड संहिता के अंतर्गत दोषसिद्ध करने वाला निर्णय एवं आदेश पुनर्स्थापित किया जाता है। अब अभियुक्तों को निर्देशित किया जाता है कि वे आज से छह सप्ताह की अवधि के भीतर संबंधित जेल प्राधिकारी/संबंधित न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण करें, ताकि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा निर्धारित दंड का भुगतना कर सकें। यदि अभियुक्त उपर्युक्त समयसीमा के भीतर आत्मसमर्पण नहीं करते, तो संबंधित पुलिस

अधीक्षक/न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि अभियुक्तों को अभिरक्षा में लेकर दंड का निर्वहन कराएँ।

10. वर्तमान अपीलें उपर्युक्तानुसार स्वीकार की जाती हैं।

अपीलों की अनुमति दी गई।

अंकित ज्ञान

(सहायकः राहुल राठी, एलसीआरए)

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।